राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पहला दिवस [संख्या: 01

बुधवार,

03 जुलाई 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्नाम् पुलकित यामिनीम्।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्।
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, सुन लीजिए। पहले शपथ कार्यवाही हो जाए, फिर आपकी बात सुन लेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

संविधान के अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत नये वर्ष के सत्र का आरम्भ माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होना चाहिए

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सर, संविधान से जुड़ा हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 176 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जो सदन हो रहा है यह राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होना चाहिए। एक तरफ पूरे देश के अन्दर आपने देखा होगा, संविधान को कमजोर करने की बात चली। उसके बाद नया सत्र शुरू हुआ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, ये ...(व्यवधान) बोल रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट, बात सुनिए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, मैं करता हूं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पांव पर, माननीय सदस्य, आपके नेता खड़े हुए हैं फिर बीच में बोल रहे हैं। यह गलत काम है। यह काम मेरा है, आपका नहीं है। मेरा काम आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं इसका उत्तर देता हूं। पहले शपथ है। आप विराजिए। मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, यह व्यवस्था का प्रश्न है। इसके बाद आप शपथ करवा लेना।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। पहले शपथ होगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। अध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुनिए। आज संविधान को नहीं माना जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। इसकी व्यवस्था मैं दूंगा। पहले शपथ होगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): संविधान को नहीं माना जा रहा है। संविधान की बड़ी किताब लगाकर मोदी जी उसके आगे नमन कर रहे हैं और यहां संविधान को खतम किया जा रहा है। (व्यवधान) संविधान के अन्दर यह व्यवस्था दी गयी है कि नया सत्र जब भी शुरू होगा, राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा।

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी बात को खारिज करता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप संविधान की पालना करवाइए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजिए। माननीय विपक्ष के नेता।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप मेरी बात सुनिए।

श्री अध्यक्ष: मैं इसका उत्तर देता हूं। आप विराजिए। सदन की कार्यवाही चलने दीजिए, आपकी बात का उत्तर आयेगा। (व्यवधान) आप विराजिए। माननीय सदस्य, पहले शपथ होगी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात का स्पष्ट जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। विधि अनुसार, कानून के अनुसार आर्टिकल 176 के अनुसार कार्यवाही हो रही है। राज्यपाल का अभिभाषण एक बार होता है, वह इस विधान सभा में हो चुका है प्रारम्भ में,

(श्री जोगाराम पटेल)

दोबारा नहीं होता है। आप संविधान को पढ़िए या मैं पढ़कर सुनाऊं? (व्यवधान) हम अगर कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं। या तो पढ़ते नहीं हैं या जानबूझ कर गलत जवाब देते हैं। इसकी व्याख्या कर दीजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने पढ़ लिया है।

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप बैठिए। मैंने पढ़ा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। मैं जवाब देने को तैयार हूं ...(व्यवधान) हमारी सरकार जवाब देने को तैयार है। कानून की गलत व्याख्या है।

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर सुनिए। (व्यवधान) आप गलत बोल रहे हैं, उत्तर सुनिए। आप बैठिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कानून की जानकारी के अभाव में एतराज किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, आप दोनों बैठिए। आप भी बैठिए। माननीय सदस्य, मैं यह व्यवस्था शपथ के बाद देता हूं। पहले शपथ होगी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आज तक कभी हुआ है ...(व्यवधान) ऐसा।

श्री अध्यक्ष: आप तो बैठिए। आप तो बीमार हैं, आप कैसे खड़े हो गए? बैठिए। अब शपथ लेने आ जाइए।

प्रमुख सचिव राजस्थान विधान सभा: श्री जयकृष्ण जी पटेल। श्री जयकृष्ण जी पटेल। नहीं हैं?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, मैंने आपको अनुमति दे दी। व्यवस्था हो गयी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी नया सत्र शुरू होता है, संविधान के आर्टिकल 176 के अन्दर यह कहा गया है कि जब भी नया सत्र शुरू होगा तो वह राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। दूसरा, यह कहा गया है कि नव-निर्वाचित, नई विधान सभा जब भी आयेगी, उसका प्रथम सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। आपने अभिभाषण शुरू करवाया है, पिछली जो विधान सभा आपने बुलाई दिसम्बर के अन्दर और दिसम्बर के अन्दर जो विधान सभा आपने बुलाई, जिसमें माननीय सदस्यों की

(श्री टीकाराम जूली)

शपथ हुई और उसके बाद 19 जनवरी को राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। उसके बाद में मार्च में आपने सत्रावसान कर दिया। वह जो सत्र आपका था, वह दिसम्बर का था। आपने बीच में उसका सत्रावसान नहीं किया। वह कंटीन्यू चला है।

श्री अध्यक्ष: हो गयी बात।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह संविधान को चैलेंज करने वाली बात है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) जवाब मिल रहा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इससे पहले भी ऐसा उदाहरण आया है ...(व्यवधान) आप बात सुनिए।

श्री अध्यक्ष: आप चुप रहिए। आज पहले ही दिन मेरे को कठोर कार्यवाही के लिए मजबूर न करें। कान खोलकर सुन लें। मेरे को कठोर कार्यवाही के लिए मजबूर नहीं करें। आपने बोल दिया, उत्तर सुनिए। मेरे को ध्यान आ गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी 1993 के अन्दर सेम स्थिति हुई थी। दिसम्बर 31 को विधान सभा बुलाई गई। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ और उसके बाद दोबारा फरवरी के अन्दर भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है। आप इसका एग्जामिन करवाइए। सही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। हम संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आये हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात आ गयी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आये हैं। यह आज की जो बैठक है यह असंवैधानिक है ...(व्यवधान) यह बैठक असंवैधानिक है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए। बात आ गयी। मंत्री जी, बोलिए। अंकित नहीं हो। बात हो गयी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): संविधान का जवाब सुन लो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, संविधान का जवाब सुन लीजिए। (व्यवधान) अभी जवाब सुन लो। संविधान का जवाब सुन लो।

श्री अध्यक्ष: सुनिए। उत्तर हो गया। डोटासरा जी, सुनिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): संविधान का जवाब सुनना है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: बैठिए। उत्तर सुन लीजिए। मैं व्यवस्था देता हूं। (व्यवधान) आप उत्तर दें, फिर मैं व्यवस्था देता हूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पहले मेरे को सुनिए।

श्री अध्यक्ष: कानून मंत्री उत्तर तो देगा। सुनिए। आपकी बात तो आ गयी। बोलिए। बात हो गयी पूरी, आ गई ध्यान में।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: आपकी बात आ गयी। एक बार सुनिए। दोबारा आवश्यकता होगी तो अनुमति दूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बिना अनुमति के बोलना असंवैधानिक है। (व्यवधान) बिना आसन की अनुमति के बोलना असंवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष: शांति से सुनिए। माननीय विपक्ष के नेता ...(व्यवधान) मत बोलिए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): संविधान का आधार लेकर इस तरह का गलत इंटरप्रिटेशन, कानून के विरुद्ध इंटरप्रिटेशन, या तो जानकारी नहीं है या जानकारी होते हुए जान बूझकर छिपाया गया है। 176 पढ़िए। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं, अभी पढ़ रहा हूं, यही पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अभी मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक बार मैं निवेदन कर दूं। यह द्वितीय सत्र है। यह जो नोटिफिकेशन हुआ है, इसमें द्वितीय सत्र है, पहला सत्र नहीं है। पहला स्पीकर है।

श्री अध्यक्ष: हल्ला मचाने से आपका आज सदन नहीं चलेगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): दूसरा, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात्, जनरल इलेक्शन के बाद में प्रथम सत्र के प्रारम्भ में, प्रथम सत्र नहीं है, ये द्वितीय सत्र है, प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र

(श्री जोगाराम पटेल)

के प्रारम्भ में, ...(व्यवधान) हां, यही पढ़ रहा हूं, पहले सुनिए, ...(व्यवधान) सुनिए, पहले सुनिए। सुनने की क्षमता ही नहीं है...(व्यवधान) सुन लीजिए। साहब, सुनते ही नहीं हैं। प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधान मंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। एक ही बार होगा। राज्यपाल का अभिभाषण एक ही बार होगा, जो हो गया है। दूसरी बार नहीं होता है। वह सत्र गिन लिया है। कानून की जानकारी नहीं है या कानून पढ़ा नहीं है या पढ़ने के बावजूद गलत इंटरप्रिटेशन है। एक ही बार होगा। "At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year..." फर्स्ट सैशन है। यह फर्स्ट सैशन में होगा। सैकण्ड में नहीं होगा। यह सैकण्ड सैशन है।

(**कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे**)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय विपक्ष के नेता, आप मुझे व्यवस्था देने दीजिए। अब मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आपका विषय भी आ गया, इनका भी आ गया, दोनों का रिकार्ड पर आ गया। अब मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट बात सुनिये। लोक सभा में भी आप स्पीकर बंद करते हो। यहां भी मेरा स्पीकर बंद करने लग गए। यहां तो हमें बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा स्पीकर आप बार-बार बंद कर देते हैं। माइक बंद कर देते हैं।

व्यवस्था

माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण 2024 के सत्र में हो जाने के कारण वर्तमान सत्र में आवश्यक नहीं

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, विपक्ष के नेता ने जो मुद्दा उठाया, हमारे संसदीय मंत्री ने भी कुछ रखा, दोनों को सुनने के बाद यह व्यवस्था है। हमेशा प्रथम सत्र के आरम्भ में व प्रत्येक वर्ष तथा 2024 के प्रथम सत्र में सम्बोधन हो गया, यह 2024 का द्वितीय सत्र है इसलिए राज्यपाल के अभिभाषण की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, हम आपकी बात मान लेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था हो गई।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, हम आपकी बात मान लेंगे, आप तो यह बता दीजिए कि इस नये साल का पहला सत्र आपने कब बुलाया?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नये साल का नहीं होता ...(व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप प्रथम सत्र बता दीजिए। आपने प्रथम सत्र कब बुलाया, यह बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: सत्र दिसम्बर में शुरू हुआ, जनवरी में समाप्त हुआ। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दिसम्बर का नये साल में कैसे होगा? दिसम्बर का कैसे होगा? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नया साल गिना जाएगा। आपका इन्टरप्रिटेशन गलत है। यह द्वितीय सैशन है ...(व्यवधान) एक बार हो गया है, दोबारा नहीं होगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, बात सुनिये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था दे दी, बैठिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। व्यवस्था के बाद चर्चा नहीं होती है। आगे बढ़ें। बधाई संदेश।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष: अब चर्चा नहीं। दोनों का आ गया रिकार्ड में।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, आप बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था हो गई, बैठिए। बधाई संदेश। (व्यवधान) व्यवस्था हो गई, बैठिए। (व्यवधान) अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद आप इस तरह करते हैं, यह सदन की गरिमा के खिलाफ है। यह सदन की गरिमा के खिलाफ है। इससे आप अख़बार में छप जाओगे लेकिन नियम नहीं बदलेंगे। गोविन्द जी, पीछे जाओ ...(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

सबसे पहले आप निकाले जाओगे, मैं कह रहा हूं। शपथ। अपनी-अपनी सीटों पर जाइये।

प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा: श्री जयकृष्ण जी पटेल।

शपथ/प्रतिज्ञान

नव-निर्वाचित सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

(माननीय सदस्य ने उनके नाम के सम्मुख अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की/प्रतिज्ञान किया)

क्र. सं.	सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्री जयकृष्ण पटेल	शपथ	हिन्दी

श्री अध्यक्ष: अपनी-अपनी सीटों पर जाइये। अपनी-अपनी सीटों पर बैठिए। आपको यह शोभा नहीं देता। हो गया, हो गया।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

अपने को मर्यादाओं का पालन करना है। मैं एक बार पुन: आप सबसे अपील करता हूं कि अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइये। लास्ट बार कह रहा हूं, अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइये। बधाई संदेश।

बधाई एवं आभार

ओम बिरला, श्री, को अध्यक्ष, लोक सभा के पुन: निर्वाचन पर राजस्थान विधान सभा की ओर से बधाई

राजस्थान विधान सभा के तीन बार सदस्य रहे श्री ओम बिरला के लोक सभा अध्यक्ष के गरिमामय पद पर लगातार दूसरी बार आसीन होने पर यह सदन गौरव एवं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है एवं इससे राजस्थान प्रदेशवासियों का मान और गौरव बढ़ा है।

श्री बिरला का राजस्थान विधान सभा एवं लोक सभा का दो दशकों से अधिक का संसदीय अनुभव रहा है। श्री बिरला की कड़ी मेहनत, उत्साह और सकारात्मक सोच के चलते आप लोक सभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। सर्वसम्मति से आपका निर्वाचन स्वागत योग्य कदम है। सत्रहवीं लोक सभा के सदन संचालन में आपने बेहतर भूमिका निभाई थी। इस बार भी आपके नेतृत्व में सदन का संचालन कुशलतापूर्वक चलेगा, ऐसा विश्वास है।

(श्री अध्यक्ष)

आपके लोक सभा अध्यक्ष पद पर पुनः आसीन होने पर मैं राजस्थान विधान सभा के सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूं। (व्यवधान)

आप बैठ जाइये। मैं एक बार पुन: अपील कर रहा हूं, सब अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइये। शोकाभिव्यक्ति है। आप अपनी सीटों पर जाइये। (व्यवधान) शोकाभिव्यक्ति होगी, आप बैठ जाइये।

कल भी अवसर मिलेगा, परसों भी अवसर मिलेगा, अभी अपन महीने भर साथ हैं। अपनी सीटों पर चले जाइये। अभी अपन एक महीने तक साथ हैं।

अध्यक्ष द्‌वारा सम्बोधन

अन्तरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर राजस्थान विधान सभा के सदस्यों द्‌वारा प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने व उपलब्ध विकल्प अपनाने हेतु आह्‌वान

आज अन्तरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है। अन्तरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के संकल्प का उद्देश्य है:

1. प्लास्टिक बैग के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जागरुकता बढ़ाना।

2. व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह संविधान के बीच में प्लास्टिक कहां से आ गया? (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष) संविधान को बचाओ। जहां प्लास्टिक बन रहा है उन पर रोक लगाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: संविधान की व्यवस्था दे दी मैंने।

3. पुनः प्रयोज्य बैग, कपड़े के बैग और बायोडिग्रेडेबल बैग जैसे संधारणीय विकल्पों को बढ़ावा देना।

4. दुनिया भर में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध और प्रतिबंधों का समर्थन करना।

5. प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण और उचित निपटान को प्रोत्साहित करना।

6. वन्यजीवों, महासागरों और पर्यावरण पर प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के बारे में समुदायों को शिक्षित करना।

(श्री अध्यक्ष)

7. व्यक्तियों को संधारणीय विकल्प चुनने और पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना।

8. अर्थव्यवस्था और प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त दुनिया में परिवर्तन का समर्थन करना।

मेरा आपसे आग्रह है कि एक मिनट जो संकल्प लेना है, इसमें सबका कामन है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष जी, संविधान की बात थी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था दे दी मैंने। व्यवस्था पर चर्चा नहीं होती। (व्यवधान) आप संगठन के, प्रदेश के अध्यक्ष हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष जी, संविधान की बात थी। आपने शोकाभिव्यक्ति का कहा, हम बैठ गए। शोकाभिव्यक्ति के बीच में प्लास्टिक कहां से ले आये?

श्री अध्यक्ष: खड़े होकर अपन संकल्प लेंगे। आपसे निवेदन है सब खड़े होकर ...(व्यवधान) प्लास्टिक के बारे में तो एकमत हो जाओ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार को शपथ दिला दो कि प्लास्टिक नहीं बनने देंगे। प्लास्टिक बनेगा नहीं तो यूज नहीं होगा। खुद बनवाते हैं फिर शपथ दिलवाते हैं।

श्री अध्यक्ष: आज अन्तरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर यह सदन संकल्प लेता है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले संविधान बचाओ।

श्री अध्यक्ष: संविधान बचा हुआ है, आप चिन्ता मत करो। संविधान बचा हुआ है। (व्यवधान)

'आज अन्तरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर यह सदन संकल्प लेता है कि प्लास्टिक बैग के स्थान पर इसके पर्यावरण अनुकूल विकल्पों यथा - जूट अथवा कपड़े के बैग का उपयोग करेंगे एवं आमजन को इस सम्बन्ध में जागरूक करेंगे।'

(उक्त आह्वान का माननीय अध्यक्ष सहित सभी सदस्यगण द्वारा सहपाठ किया गया।)

शोकाभिव्यक्ति। शोकाभिव्यक्ति है।

(श्री अध्यक्ष)

आप बैठिये। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे यह अपील करता हूं कि आप विराजिये। आप सदन की कार्यवाही एवं गरिमा का ध्यान रखिये। (व्यवधान)

सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र की सूचना।

सदस्य का त्याग-पत्र

महेन्द्रजीत सिंह मालविया, राजकुमार रोत, मुरारी लाल मीना, हरीश चन्द्र मीना, बृजेन्द्र सिंह ओला एवं हनुमान बेनीवाल, सर्वश्री, द्वारा राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सोलहवीं राजस्थान विधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा से निर्वाचित सदस्य श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (विभाजन संख्या-116) ने स्वेच्छा से दिनांक 27 फरवरी, 2024 को; निर्वाचन क्षेत्र-चौरासी, जिला डूंगरपुर से निर्वाचित सदस्य श्री राजकुमार रोत (विभाजन संख्या-127) ने लोक सभा सदस्य निर्वाचित होने के कारण दिनांक 14 जून, 2024 को; एवं निर्वाचन क्षेत्र दौसा, जिला दौसा से निर्वाचित सदस्य श्री मुरारी लाल मीना (विभाजन संख्या-119), निर्वाचन क्षेत्र देवली-उनियारा, जिला टोंक से निर्वाचित सदस्य श्री हरीश चन्द्र मीना (विभाजन संख्या-194), निर्वाचन क्षेत्र-झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं से निर्वाचित सदस्य श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (विभाजन सख्या-103) तथा निर्वाचन क्षेत्र-खींवसर, जिला नागौर से निर्वाचित सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल (विभाजन सख्या-189) ने लोक सभा सदस्य निर्वाचित होने के कारण दिनांक 18 जून, 2024 को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-173(2) के अन्तर्गत राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है और इनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम डी.एन.ए. टैस्ट करवाने को तैयार हैं अन्यथा मंत्रीजी माफी मांगें। आदिवासी अपमान नहीं सहेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं एक बार और आपसे अपील करता हूं कि आप सब लोग विराजिये। पहला दिन है, आप सब विराजिये। सब लोग देख रहे हैं। राजस्थान की जनता आपको देख रही है। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:-

1. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्या-1)
2. राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्या-2)
3. राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्या-3)

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। आप बैठिये। श्री जोगेश्वर गर्ग। आप कल बी.ए.सी. में थे। विराजिये। (व्यवधान)

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम सं. 3)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 'यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।'

(कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

(श्री अध्यक्ष)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए गुजरात की पूर्व राज्यपाल श्रीमती कमला बेनीवाल; महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य मंत्री श्री मनोहर जोशी; इस विधान सभा के पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक श्री महावीर प्रसाद जैन; पूर्व राज्य मंत्री श्री राधेश्याम गंगानगर; श्री चन्द्रशेखर एवं श्री उम्मेद सिंह और इस सदन के पूर्व सदस्य श्री विवेक धाकड़; श्री प्रभुलाल करसोल्या; श्री किशन गोपाल कोगटा; श्री मोटाराम; श्री रतीराम यादव तथा श्री हुकुम सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

कमला बेनीवाल, श्रीमती, पूर्व राज्यपाल (त्रिपुरा, गुजरात व मिजोरम) एवं पूर्व उप मुख्य मंत्री

गुजरात, त्रिपुरा एवं मिजोरम की पूर्व राज्यपाल श्रीमती कमला बेनीवाल का जन्म 12 जनवरी, 1927 को झुंझुनूं जिले के गौरीर ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्रीमती कमला बेनीवाल पहली, तीसरी, पांचवीं, सातवीं, आठवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस की विधायक रहीं। आप पहली विधान सभा के लिये हुए उप चुनाव में आमेर 'ए' निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुईं। आप पांचवीं विधान सभा में दूदू निर्वाचन क्षेत्र से तथा शेष में बैराठ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहीं। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क', पुस्तकालय समिति, नियम समिति तथा कार्य सलाहकार समिति की सदस्य रहीं। आप संसदीय परामर्शदात्री समिति की सभापति भी रहीं। कुशल प्रशासक रहीं श्रीमती बेनीवाल राज्य सरकार में पहली एवं तीसरी विधान सभा के कार्यकाल में उप मंत्री, पांचवीं विधान सभा के कार्यकाल में राज्य मंत्री तथा सातवीं एवं आठवीं विधान सभा के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रहीं। आपको राज्य मंत्रिमण्डल में शामिल होने वाली पहली महिला सदस्य होने का गौरव भी प्राप्त है। आप ग्यारहवीं विधान सभा के कार्यकाल में राजस्थान की पहली महिला उप मुख्य मंत्री भी रहीं। मंत्री के रूप में आपने गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि एवं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ-साथ अनेक विभागों के दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। अनुभवी

(श्री अध्यक्ष)

संसदविद् एवं बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्रीमती बेनीवाल अक्टूबर, 2009 से नवम्बर, 2009 तक त्रिपुरा एवं नवम्बर, 2009 से जुलाई, 2014 तक गुजरात तथा जुलाई, 2014 से अगस्त, 2014 तक मिजोरम राज्य के राज्यपाल के पद पर आसीन रहीं।

श्रीमती बेनीवाल अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक समितियों एवं संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहीं। आप राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राज्य सहकारी संघ तथा राष्ट्रीय सहकारिता महिला समिति की अध्यक्ष रहीं। कांग्रेस से सम्बद्ध रहीं श्रीमती बेनीवाल ने पार्टी के विभिन्न पदों के दायित्वों का कुशलता से निर्वहन किया। आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य तथा राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। बाल स्वतंत्रता सेनानी रहीं श्रीमती बेनीवाल ने प्रजामण्डल के जुलूसों में सक्रियता से भाग लिया। राजनीति में महिलाओं के लिये प्रेरणास्रोत रहीं श्रीमती बेनीवाल ने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित अनेक महिला सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती कमला बेनीवाल का दिनांक 15 मई, 2024 को निधन हो गया।

मनोहर जोशी, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री (महाराष्ट्र) व पूर्व अध्यक्ष, लोक सभा

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य मंत्री एवं पूर्व लोक सभा अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी का जन्म 02 दिसम्बर, 1937 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नंदवी ग्राम में हुआ। आपने एम.ए., एलएल.बी. तथा पीएच.डी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री मनोहर जोशी वर्ष 1972 से 1989 तक महाराष्ट्र विधान परिषद् के सदस्य रहे। आप चार बार महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य भी रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आपने दो बार नेता, प्रतिपक्ष के दायित्वों का निर्वहन किया। राजनीतिक कौशल एवं प्रशासनिक क्षमता के धनी श्री जोशी मार्च, 1995 से जनवरी, 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री रहे। श्री जोशी तेरहवीं लोक सभा के लिये महाराष्ट्र के मुम्बई उत्तर-मध्य निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गये तथा केन्द्रीय सरकार में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के मंत्री रहे। आप 10 मई, 2002 को लोक सभा के अध्यक्ष निर्वाचित

(श्री अध्यक्ष)

हुए। आपने संसदीय मर्यादाओं एवं अनुशासन को अक्षुण्ण बनाये रखने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये तथा संसदीय सुधारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। आप राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप मुम्बई महानगरपालिका के सदस्य तथा मेयर रहे। श्री जोशी मराठी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के प्रचारक रहे। आप अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों से सम्बद्ध रहे। आपकी 'स्वच्छ मुम्बई हरित मुम्बई' एवं स्पीकर डायरी सहित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

श्री मनोहर जोशी का दिनांक 23 फरवरी, 2024 को निधन हो गया।

महावीर प्रसाद जैन, श्री, पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक

पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक श्री महावीर प्रसाद जैन का जन्म 01 जनवरी, 1947 को टोंक जिले के निवाई कस्बे में हुआ। आपने माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की।

श्री महावीर प्रसाद जैन सातवीं, नौवीं, दसवीं एवं बारहवीं राजस्थान विधान सभा में टोंक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'ख', अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति, कार्य सलाहकार समिति तथा संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। आप गृह समिति के सभापति भी रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री जैन दिसम्बर, 1993 से नवम्बर, 1998 तक तथा जून, 2004 से दिसम्बर, 2008 तक राजस्थान विधान सभा में सरकारी मुख्य सचेतक रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप नगरपालिका, टोंक के उपाध्यक्ष रहे। श्री जैन कृषि उपज मण्डी समिति के सदस्य तथा टोंक औद्योगिक संस्थान संघ तथा खुदरा विक्रेता संघ, निवाई के अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे श्री जैन पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े श्री जैन ने विभिन्न जन-आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। आपातकाल के दौरान आपने जेल यात्रा भी की।

श्री महावीर प्रसाद जैन का दिनांक 24 फरवरी, 2024 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

राधेश्याम गंगानगर, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व विधायक श्री राधेश्याम गंगानगर का जन्म 01 जनवरी, 1939 को पाकिस्तान के बहावलपुर जिले के हासलपुर ग्राम में हुआ। आपने गंगानगर से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री राधेश्याम सातवीं, दसवीं, ग्यारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में गंगानगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। आप सातवीं विधान सभा में कांग्रेस (आई), दसवीं एवं ग्यारहवीं विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क' एवं 'ख', नियम समिति, राजकीय उपक्रम समिति, गृह समिति एवं पुस्तकालय समिति के सदस्य भी रहे। आप मई, 2002 से दिसम्बर, 2003 तक राज्य सरकार में आयुर्वेद, संस्कृत शिक्षा, सिंचाई विभाग के राज्य मंत्री भी रहे।

नगर परिषद्, गंगानगर के उपाध्यक्ष रहे श्री राधेश्याम जिला पंचायत परिषद् श्रीगंगानगर, पंचायती राज संस्थान, नगर विकास न्यास एवं नगर परिषद् श्रीगंगानगर के अध्यक्ष भी रहे। आप विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री राधेश्याम राजस्थान पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे। आप श्रीगंगानगर चैम्बर आफ कामर्स के अध्यक्ष भी रहे।

श्री राधेश्याम गंगानगर का दिनांक 16 फरवरी, 2024 को निधन हो गया।

चन्द्रशेखर, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री श्री चन्द्रशेखर का जन्म 17 मई, 1946 को अलवर जिले के खदाना ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री चन्द्रशेखर आठवीं तथा ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में खैरथल निर्वाचन क्षेत्र से इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क' के सदस्य रहे। श्री चन्द्रशेखर दिसम्बर, 1998 से नवम्बर, 2003 तक राज्य सरकार में गृह रक्षा, जेल, राजस्व, समाज कल्याण, सैनिक कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास कई विभागों का स्वतंत्र प्रभार भी रहा।

(श्री अध्यक्ष)

अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु समर्पित श्री चन्द्रशेखर ने सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन एवं बालिका शिक्षा के प्रसार में भी सक्रिय योगदान दिया। आप कई सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे तथा उनके शीर्ष पदों पर कार्य किया।

श्री चन्द्रशेखर का दिनांक 22 जून, 2024 को निधन हो गया।

उम्मेदसिंह, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री श्री उम्मेद सिंह का जन्म 01 जुलाई, 1948 को नागौर जिले के खोजास ग्राम में हुआ। आपने हाई स्कूल, डीडवाना से अपनी शिक्षा प्राप्त की।

श्री उम्मेद सिंह सातवीं तथा नौवीं राजस्थान विधान सभा के लिए डीडवाना निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आप सातवीं विधान सभा में जनता पार्टी (जेपी) तथा नौवीं विधान सभा में जनता दल के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क' एवं 'ख' तथा संसदीय परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे। श्री उम्मेद सिंह नवम्बर, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक दुग्ध विकास विभाग तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे। इस दौरान आप सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग के भी राज्य मंत्री रहे।

आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े अनेक सामाजिक संगठनों के विभिन्न पदों पर रहे।

श्री उम्मेद सिंह का दिनांक 12 अप्रैल, 2024 को निधन हो गया।

विवेक धाकड़, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री विवेक धाकड़ का जन्म 18 जनवरी, 1977 को भीलवाड़ा में हुआ। आपने बी.ए., एलएल.बी. एवं एम.बी.ए. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री विवेक धाकड़ चौदहवीं विधान सभा के लिये हुए उप चुनाव में माण्डलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप पर्यावरण समिति के सदस्य रहे।

श्री धाकड़ अपने सार्वजनिक जीवन में 10 वर्षों तक पंचायत समिति, माण्डलगढ़ के सदस्य रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री धाकड़ समाज की विभिन्न संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे।

श्री विवेक धाकड़ का दिनांक 04 अप्रैल, 2024 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रभुलाल करसोल्या, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री प्रभुलाल करसोल्या का जन्म 14 जनवरी, 1942 को बून्दी जिले के करवर ग्राम में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री प्रभुलाल करसोल्या आठवीं एवं ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा में नैनवां निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप पुस्तकालय समिति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति तथा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे।

श्री करसोल्या अपने सार्वजनिक जीवन में ग्राम पंचायत, करवर के दो बार सरपंच तथा जिला परिषद् बून्दी के सदस्य रहे। आप सहकारी समिति, करवर के अध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री करसोल्या ने अनेक आन्दोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई तथा जेल यात्राएं भी कीं। आप धाकड़ समाज के अध्यक्ष भी रहे। श्री करसोल्या ने अपने क्षेत्र में सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किया।

श्री प्रभुलाल करसोल्या का दिनांक 25 फरवरी, 2024 को निधन हो गया।

किशन गोपाल कोगटा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री किशन गोपाल कोगटा का जन्म 06 नवम्बर, 1948 को अजमेर के विजयनगर में हुआ। आपने राजकीय सनातन धर्म महाविद्यालय, ब्यावर से बी.कॉम. की उपाधि प्राप्त की।

श्री किशन गोपाल कोगटा नवीं तथा दसवीं राजस्थान विधान सभा में मसूदा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, प्राक्कलन समिति 'ख', महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। आप राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यकलापों की जांच हेतु गठित समिति के सदस्य भी रहे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 25 वर्ष तक नगर कार्यवाह रहे श्री कोगटा ने राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई।

(श्री अध्यक्ष)

श्री किशन गोपाल कोगटा का दिनांक 24 नवम्बर, 2023 को निधन हो गया।

मोटाराम, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री मोटाराम का जन्म 02 सितम्बर, 1956 को बाड़मेर के सिवाना कस्बे में हुआ। आपने नौवीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री मोटाराम आठवीं राजस्थान विधान सभा में सिवाना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (ई) के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयासरत रहे।

श्री मोटाराम का दिनांक 01 जून, 2024 को निधन हो गया।

रतीराम यादव, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री रतीराम यादव का जन्म 09 जुलाई, 1928 को अलवर जिले के भोजावास ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री रतीराम यादव पांचवी राजस्थान विधान सभा के लिए तिजारा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे।

अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री यादव ने शैक्षणिक जागरुकता के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। आपने साप्ताहिक पत्र 'जनवाद' का सम्पादन एवं प्रकाशन भी किया। श्री यादव अलवर जिला सहकारी संस्थान लिमिटेड के मंत्री भी रहे।

श्री रतीराम यादव का दिनांक 11 फरवरी, 2024 को निधन हो गया।

हुकुम सिंह श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री हुकुम सिंह का जन्म 14 फरवरी, 1927 को जैसलमेर में हुआ। आपने मेयो कालेज, अजमेर से बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री हुकुम सिंह दूसरी तथा तीसरी राजस्थान विधान सभा में जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। दूसरी विधान सभा में आप निर्दलीय तथा तीसरी विधान सभा में कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के

(श्री अध्यक्ष)

कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति तथा प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप जैसलमेर जिला परिषद् के जिला प्रमुख रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री सिंह सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री हुकुम सिंह का दिनांक 17 मार्च, 2024 को निधन हो गया।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

हाथरस (उत्तर प्रदेश) के हादसे में मृतक

दिनांक 02 जुलाई, 2024 उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गयी। इस हृदय विदारक घटना में लगभग 121 जनों की मृत्यु हो गयी तथा कई लोग घायल हो गये।

यह सदन इस दुर्घटना में मारे गये लोगों के प्रति शोक प्रकट करता है।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 04 जुलाई 2024 के प्रात 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.41 बजे गुरुवार, दिनांक 04 जुलाई 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 3)

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 02 जुलाई, 2024 को सायं 05.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि गुरुवार, दिनांक 04 जुलाई, 2024 से बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 2024 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए:-

गुरुवार, दिनांक 04 जुलाई 2024	1. राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको) एवं 2. राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड (आरसीडीएफ) - के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार।
शुक्रवार, दिनांक 05 जुलाई 2024 से मंगलवार, दिनांक 09 जुलाई 2024 तक	बैठक नहीं होगी।
बुधवार, दिनांक 10 जुलाई 2024	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 का उपस्थापन।